दिनांक: 23.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा हत्या की घटना का खुलासा करते हुए हत्या की घटना में वांछित आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त की निशांदेही पर घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल 01 सरिया, 01 मोटरसाइकिल व मृतका का मोबाइल फोन बरामद

घटना का विवरणः- दिनांक 14.08.2026 को थाना गागलहेडी क्षेत्र मे ग्राम नांगल अहीर के जंगल मे अज्ञात महिला का शव मिला था, मृतका महिला की शिनाख्त इमराना पत्नी वाजिद निवासी ग्राम खेडा मवी खुर्द थाना सदर बाजार सहारनपुर के रूप मे हुई । घटना के सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 223/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम केसर निवासी बहेड़ी गुर्जर थाना गागलहेडी के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था । जाँच व विवेचना के क्रम मे घटनास्थल के आसपास व घटनास्थल तक पहुंचने वाले सभी रास्तो के सीसीटीवी फुटेज के आधार व संदिग्ध व्यक्तियों से पूछतांछ पर घटना में **अभियुक्त शमशाद पुत्र निजामुददीन निवासी ग्राम मवी खेडा खुर्द थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** का नाम प्रकाश में आया ।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र व सफल अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये । आदेश के अनुपालन में इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा दिनांक 22.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार व गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त प्रकाश में आये **वांछित आरोपी अभियुक्त शमशाद पुत्र निजामुददीन निवासी मवी खेडा खुर्द थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को **हरौडा कट से** गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की निशादेंही पर घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल व आलाकत्ल चाकू तथा मृतका का मोबाइल फोन तालाब से बरामद किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त शमशाद ने बताया कि मैं खेड़ा (मवीखुर्द) का रहने वाला हूँ मेरे पड़ोस मे ही वाजिद पुत्र महमूद का परिवार रहता है वाजिद की पत्नी इमराना से करीब सात-आठ महीने से मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा था । मेरी व इमराना के मकान की छत मिली हुई है, हम दोनो के बीच मे शारीरिक सम्बन्ध थे । इमराना भगवानपुर मे दवाई की कम्पनी मे नौकरी करती थी उसकी जान पहचान केसर नाम के व्यक्ति से थी तथा मुझसे पहले उसके साथ इमराना का प्रेम प्रसंग चल रहा था । मैं कई बार इमराना को केसर से सम्बन्ध खत्म करने के लिए कह चुका था, पर वह मेरी बात नही मानती थी और लगातार उसके साथ भी बातचीत करती रहती थी । मैं कई बार इमराना को दवाई कम्पनी मे छोडने व लेने गया था । इमराना की लड़की आफरीन की शादी की बात चल रही थी जिसके लिए इमराना मुझसे पैसे मांग रही थी तथा इसके लिए मुझपर दबाव बना रही थी और कहती थी कि यदि तुने मुझे पैसै नही दिये तो मैं तेरे ऊपर बलात्कार का केस लगवा दूंगी । इस कारण मै काफी परेशान हो गया और मैने इमराना को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया तथा योजना के तहत 13 अगस्त की सुबह मैं इमराना को जेल चुंगी छोड़कर आया था और मैने उससे कह दिया था कि मैं शाम को तुझे कम्पनी से लेने आऊंगा । इमराना उस दिन भी मुझपर पैसे का दबाव बना रही थी, शाम के समय जब मैं इमराना को मारने का प्लान बनाकर अपना फोन अपने घर छोड़कर मोटरसाईकिल से भगवानपुर मे इमराना की कम्पनी के पास पहुँचा वहाँ से इमराना को मोटर साईकिल पर अपने साथ लेकर चल दिया रास्ते में वह रायपुर मे मेरी मोटरसाईकिल से एक गली के बाहर उतर गयी उसने बताया कि वह केसर के पास से अपना टिफिन लेकर आ रही है तुम मुझे आगे मेन रोड़ पर मिलो तब मैं वहाँ से निकलकर रायपुर में गागलहेड़ी भगवानपुर रोड़ पर खड़ा हो गया था और इमराना का इंतजार करने लगा था, थोड़ी देर बाद इमराना आयी और मैं उसे अपनी मोटरसाईकिल पर बैठाकर गागलहेड़ी की तरफ चल

दिया, रास्ते में चलते हुए इमराना कह रही थी कि तू पैसे लेकर नही आया फिर मैने उससे कहा कि आज जंगल में सम्बन्ध बनाते है फिर मैं तुझे घर चलकर पैसे दे दूगाँ तथा अपने प्लान के मुताबिक मैं इमराना को ग्राम बहेड़ी गुर्जर मे से निकालकर नांगल अहीर जाने वाले रास्ते पर उल्टे हाथ पर पड़ने वाले शमशान के पास ले गया वहाँ पर मैने मोटरसाईकिल खड़ी कर दी और इमराना को थोड़ा आगे चलने को कहा और बाईक मे लगे बैग से सरिया निकालकर अपनी पैंट मे छिपा लिया उस समय इमराना मुझसे थोड़ी आगे थी फिर मैने इमराना को कपड़े निकालने को कहा जब इमराना कपडे उतार रही था तो मैने पीछे से इमराना के सर पर सरिये से वार कर दिया तथा फिर उसके चेहरे पर तथा सर पर कई वार किये जिससे इमराना गिर पड़ी जब मुझे लगा की वह मर चुकी है तब मैने उसे बराबर मे नाले मे धकेल दिया तथा इमराना का फोन उठाया फोन को उसी सरिये से तोड़ दिया तथा फोन व सरिये को तालाब मे फेक दिया तथा मैं अपनी मोटरसाईकिल लेकर वहाँ से निकल गया। अगले दिन मै, वाजिद के साथ इमराना को ढूँढने के लिए भगवानपुर गया था जिससे मुझपर किसी को शक न हो तथा ऐसा नाटक करता रहा कि जैसे मुझे कुछ पता ही न हो। जब गागलहेड़ी पुलिस को इमराना की डेड बॉडी मिल गयी तथा सबको जानकारी हो गयी कि इमराना को किसी ने मार दिया है तो मैने चुपचाप अपना घर छोड़ दिया और इधर – उधर छिपकर पुलिस की तहकीकात पर नजर रखने लगा था उस दिन मै इसी मोटरसाईकिल को लेकर गया था जो मुझसे मिली है इस मोटरसाईकिल मे दोनो तरफ हैंडल पर शीशे लगे हुए थे जिन्हे मैने उतार दिया तथा मोटरसाईकिल की शीट लाल रंग की थी जिस पर मैने काले रंग का कवर चढा दिया ताकि अगर कंही कैमरे मे दिखायी दे जाए तो मेरी मोटरसाईकिल पहचानी न जा सकें। मैने इमराना को मारने के लिए वह जगह इसलिए चुनी क्योकि बराबर मे ही केसर का गांव है तो मैने सोचा था कि इस तरह इमराना से छुटकारा भी मिल जाएगा और लोगो का शक केसर पर जाएगा जिससे केसर फस जाएगा और मै बच जाऊंगा।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

1. शमशाद पुत्र निजामुददीन निवासी मवी खेडा खुर्द थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

<u>बरामदगी का विवरण</u> -

- *01 आलाकत्ल सरिया (घटना में प्रयुक्त)*
- *01 मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)*
- *01 मोबाइल फोन टूटा हुआ (मृतका का)*

<u>गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-</u>

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
2. व0उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना गागलहेडी सहारनपुर।
4. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
5. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना गागलहेडी सहारनपुर।
6. उ0नि0 श्री सतीश रौसा थाना गागलहेडी सहारनपुर।
7. हे0का0 इरशाद थाना गागलहेड़ी सहारनपुर।
8. हे0का0 चालक धीरज कुमार थाना गागलहेड़ी सहारनपुर।
9. का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी सहारनपुर।
10.का0 398 नरदेव कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
11.का0 1755 अनुज कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
12.का0 कपिल कुमार थाना गागलहेड़ी सहारनपुर
10.म0है0का0 164 नीतू थाना गागलहेडी सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 23-08-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मुकदमें में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 04.08.2026 को वादी इखलाख पुत्र लतीफ ग्राम सलेमपुर थाना नागल जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण 1.कलीम पुत्र महफुज 2.नईम पुत्र महफुज 3. दानिश पुत्र महफुज 4. महफुज पुत्र मकसूद 5. मोमिना पत्नि महफूज 6. सना पत्नि नईम निवासीगण चौबारा थाना फतेहपुर द्वारा वादी की पुत्री नाजिस को दहेज के लिये प्रताडित करना न मिलने पर गला दबाकर हत्या कर देना । मौके पर पहुँचे वादी व परिवारीजन के साथ भी मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 305/26 धारा 85/80(2)/115(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत कराया गया तथा विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 238ख बीएनएस की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 305/26 धारा 85/80(2)/115(2)/238ख बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट में वाँछित अभियुक्त **महफुज पुत्र मकसूद निवासी चौबारा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को हलवाना कमालपुर रोड जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय से समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

महफूज पुत्र मकसूद निवासी चौबारा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।
3. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।
4. है0का0 231 रोहित चौधरी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 23-08-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार गश्त व चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान ग्राम जीवाला में शान्ति व्यवस्था भंग करने के प्रयास करने वाले 05 अभियुक्तगण ***प्रथम पक्ष के 1.सन्नी पुत्र चन्दर 2.बोबी पुत्र चन्दर 3.आदित्य पुत्र सन्दीप निवासीगण जीवाला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर व दित्तीय पक्ष के 1.आदित्य पुत्र पप्पू 2.शक्ति पुत्र पप्पू निवासीगण जीवाला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*** *को आपस में पुरानी मुकदमेबाजी को लेकर आमदा फसाद हो रहा थे। सभी पाँचो अभियुक्तगणो को अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.सन्नी पुत्र चन्दर निवासी जीवाला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
2.बोबी पुत्र चन्दर निवासी जीवाला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
3.आदित्य पुत्र सन्दीप निवासी जीवाला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
4.आदित्य पुत्र पप्पू निवासी जीवाला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
5.शक्ति पुत्र पप्पू निवासी जीवाला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 उ0नि0 विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
3. रि0का0 776 अभिषेक कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
4. रि0का0 790 अवनीश कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 23-08-2026

थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गई मोटर साइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 22.08.2026 को वादी श्री रणवीर सिंह पुत्र साधूराम निवासी ग्राम छाप्पुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरी द्वारा वादी की मो0सा0 स्पेलण्डर रंग काला रजि0 सं0 UP 11 BF 9592 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 423/26 धारा 305(A) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में पुलिस पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **वंश पुत्र सतेन्द्र उर्फ पिन्टू निवासी ग्राम चढाव थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मो0सा0 स्पेलण्डर रंग काला रजि0 सं0 UP 11 BF 9592 बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

वंश पुत्र सतेन्द्र उर्फ पिन्टू निवासी ग्राम चढाव थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः

- *01 मोटरसाइकिल (स्पेलण्डर रंग काला रजि0 सं0 UP 11 BF 9592)*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री रणवीर शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*
3. *का0 2082 तुषार अधाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*

दिनांकः 23-08-2026

-प्रेस नोट-

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा मोबाइल फोन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया मोबाइल फोन बरामद

घटना का विवरणः – *दिनांक 22.08.2026 को वादिया कुमारी तानिया पुत्री हरवीर सिंह निवासी ग्राम बाधी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त वंश पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम फेरूमाजरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया के बैग से मोबाइल फोन चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 422/26 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था ।*

पुलिस कार्यवाहीः **-** *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना नकुड़ श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.08.2026 को थाना नकुड़ पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में* ***वांछित अभियुक्त वंश पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम फेरूमाजरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर*** *को थाना नकुड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से चोरी गया मोबाइल फोन रेडमी रंग 9A बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

वंश पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम फेरूमाजरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः

मोबाईल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,*
2. *उ0नि0 सौरभ राठौर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,*
3. *म0कां0 814 प्रियंका थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*

दिनांक: 23-08-2026

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश</u>

<u>थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा छेडछाड के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार</u>

घटना का विवरणः- *दिनांक 23.06.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त नासिर पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम जैतपुर कला थाना बेहट जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ छेडछाड करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 341/26 धारा 74/351(3) बीएनएस व 7/8 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत कराया गया।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 23.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में छेडछाड के मुकदमें में* ***वांछित अभियुक्त नासिर पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम जैतपुर कला थाना बेहट जनपद सहारनपुर*** *को जसमौर अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्व अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

नासिर पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम जैतपुर कला थाना बेहट जनपद सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. *म0उ0नि0 कंचन थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
2. *है0का0 209 ललित शर्मा थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
3. *का0 2495 देवेन्द्र सिंह थाना बेहट, जनपद सहारनपुर*
4. *म0रि0का0 497 साक्षी रानी थाना बेहट, जनपद सहारनपुर*

दिनांक: 23.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली बेहट पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग व दबिश के दौरान **01 वारंटी अभियुक्त अनीस पुत्र मेहरबान ग्राम हुसैन मलकपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 5221/22 व मु0अ0स0 0444/2016 थाना बेहट जनपद सहारनपुर में ग्राम हुसैन मलकपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

1. अनीस पुत्र मेहरबान ग्राम हुसैन मलकपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना बेहट, सहारनपुर
2. रि0का0 462 विकाश कुमार थाना बेहट, सहारनपुर
3. रि0का0 410 सिद्धार्थ कुमार थाना बेहट, सहारनपुर

दिनांक: 23.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली बेहट पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग व दबिश के दौरान ***01 वारंटी अभियुक्त अनीस पुत्र मेहरबान ग्राम हुसैन मलकपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद संख्या 5221/22 व मु0अ0स0 0444/2016 थाना बेहट जनपद सहारनपुर में ग्राम हुसैन मलकपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

1. अनीस पुत्र मेहरबान ग्राम हुसैन मलकपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना बेहट, सहारनपुर

2. रि0का0 462 विकाश कुमार थाना बेहट, सहारनपुर

3. रि0का0 410 सिद्धार्थ कुमार थाना बेहट, सहारनपुर

दिनांक: 23.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी मोटरसाइकिल बरामद

घटना का विवरणः- दिनांक 18.08.2026 को वादी साहिल पुत्र शमशद्दीन निवसी गोटे शाही चुंगी इसरत रहीस मिल शबनम डेरी वाली गली सहारनपुर की लिखित तहरीर पर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादी की मोटरसाइकिल UP11CH -6664 को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 407/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी/लूट आदि घटनाओ की रोकथाम व वाहन चोर/नकबजन/ शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार श्री नेमचन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **02 वांछित अभियुक्तगण 1. महेश पुत्र रविन्द्र नि0 छिदबाना थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर व 2. महक सिंह पुत्र अजब सिंह नि0 छिदबाना थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर** को सेल्फी पार्क दिल्ली रोड के पास सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी हीरो स्पलेण्डर मोटरसाइकिल रंग काला UP11CH- 6664 बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः–

1. महेश पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम छिदबाना थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. महक सिंह पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम छिदबाना थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 चोरी की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल UP11CH- 6664

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

1. उ0नि0 योगेन्द्र सिंह थाना सदर बाजारजनपद सहारनपुर
2. का0 2011 अजय तोमर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. का0 240 सोनू थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
4. रि0का0 359 प्रेमचन्द्र थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

दिनांकः 23.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर मुकदमों से सम्बन्धित 04.180 किलोग्राम तांबे का जला हुआ तार बरामद

घटनाओं का विवरणः-

1. दिनांक 19.08.2026 को वादी श्री मजरूफ अली पुत्र महफूज अली निवासी ग्राम भाउपुर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 08.08.26 की रात्रि को जगंल ग्राम भाऊपुर मे अज्ञात चोर द्वारा वादी की टयूबवैल से स्टार्टर व समरसेबिल का तार चोरी करने के सम्बन्ध मे थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0-379/26 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।
2. दिनांक 31.07.2026 को वादी श्री सैयद एम.सुल्तान निवासी अमन विहार लेन नं0-2 निकट सांसद इमरान मसूद कोठी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 18.07.26 की रात्रि लगभग 12:30 बजे से 1:40 बजे के बीच अज्ञात चोर द्वारा निर्माणाधीन मकान की दीवारों के अंदर (अंडरग्राउंड) डाली गई विद्युत वायरिंग काटकर चोरी करने के सम्बन्ध मे थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0-350/26 धारा-305(a) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चोरी की घटनाओ का संज्ञान लेकर घटनाओं के शीघ्र व सफल अनावरण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिए गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमों में प्रभावी कार्यवाही करते हुए घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए विवेचना से प्रकाश में आये **वांछित अभियुक्त मोईन पुत्र नसीम निवासी मोहल्ला एकता कालोनी छोटी नहर के पास फतेह मस्जिद थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर** को सहारनपुर अम्बाला रोड पर सिचाई विभाग के खण्डहरो के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर उपरोक्त मुकदमो से सम्बन्धित चोरी गया 04.180 किलोग्राम ताबें का जला हुआ तार बरामद हुआ। उपरोक्त मुकदमों में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। **गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है** जिसके विरूद्ध जनपद सहारनपुर में लगभग आधा दर्जन मुकदमें दर्ज है। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- अभियुक्त मोईन उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैने करीब 22 - 23 दिन पहले रात्रि में अमन विहार कालोनी में एक नवनिर्मित खुले मकान में से बिजली का तार चोरी किया था जिसे जलाकर उसका तांबा निकालकर आज बेचने की फिराक में कही जा रहा था कि आपने पकड़ लिया मैं ट्यूबबेल व मकानो से तार चोरी करके उन्हे जलाकर उनके अन्दर का ताबां निकाल लेता हू और उस तांबे के तार को राह चलते कबाड़ी को बेच देता हू जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है तथा मैनें करीब 13-14 दिन पहले भाऊपुर के जंगल से एक ट्यूबेल से स्टार्टर तोड़कर उसका तांबा व केबिल काट कर चोरी किया था तथा उन केबल को जलाकर एक प्लास्टिक कट्टे में रखकर खण्डहरो में छिपा दिया था जिसे भी मैने आपको बरामद करा दिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मोईन पुत्र नसीम निवासी मोहल्ला एकता कालोनी छोटी नहर के पास फतेह मस्जिद थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

04 किलो 180 ग्राम तांबे का जला हुआ तार

अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 288/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली मण्डी
2. मु0अ0स0 289/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली मण्डी
3. मु0अ0स0 379/24 धारा 317(5) बीएनएस थाना कोतवाली मण्डी
4. मु0अ0स0 223/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली मण्डी
5. मु0अ0सं0-379/26 धारा-303(2)/317(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0-350/26 धारा-305(a)/317(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
3. *उ0नि0 अभिषेक चौरसिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
4. *है0का0 31 सुभाष सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
5. *का01369 संघप्रिय थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*

दिनांक:23.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना- महिला थाना पुलिस द्वारा 01 NBW वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट पर्यवेक्षण में तथा महिला प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती ममतेश रानी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर महिला थाना पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान ***01 वारण्टी अभियुक्त चाँद पुत्र इकबाल निवासी 62 फुटा रोड निकट ताज पैलेस सिराज कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद स0- 2634/25 व मु0अ0स0 77/25 धारा 85/115(2)/352 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट व 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम -2019 को सिराज कालोनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

चाँद पुत्र इकबाल निवासी 62 फुटा रोड निकट ताज पैलेस सिराज कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जोगेन्द्र पाल सिह महिला थाना सहारनपुर ।
2. है0का0 324 मनोज शर्मा महिला थाना सहारनपुर ।